न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 195/2015 **दायरा दिनांक : 26.08.2015**

उनवान

1– मोहन लाल पुत्र श्री गोपाल, जाति माली, निवासी खेडी जागीर, तहसील बारां, जिला बारां

2– चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री गोपाल, जाति माली, निवासी खेडी जागीर, तहसील बारां, जिला बारां

3– राजाराम पुत्र श्री गोपाल, जाति माली, निवासी खेडी जागीर, तहसील बारां, जिला बारां

4– कंचन पुत्री श्री गोपाल, जाति माली, निवासी खेडी जागीर, तहसील बारां, जिला बारां

5– द्वारिका पुत्री श्री गोपाल, जाति माली, निवासी खेडी जागीर, तहसील बारां, जिला बारां

6– नट्टी बाई पुत्री श्री बिरधीलाल, जाति माली, निवासी खेडी जागीर, तहसील बारां, जिला बारां

7– चन्द्रभागी पुत्री श्री बिरधीलाल, जाति माली, निवासी खेडी जागीर, तहसील बारां, जिला बारां

8– नाथी बाई बेवा श्री बिरधीलाल, जाति माली, निवासी खेडी जागीर, तहसील बारां, जिला बारां

9– जगन्नाथ पुत्र श्री भूरालाल, जाति माली, निवासी खेडी जागीर, तहसील बारां, जिला बारां

10– छीतर पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली, निवासी खेडी जागीर, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– धन्ना लाल पुत्र श्री रघुनाथ, जाति माली, निवासी खेडी जागीर, तहसील बारां, जिला बारां

2– महावीर प्रसाद पुत्र श्री धन्नालाल, जाति माली, निवासी खेडी जागीर, तहसील बारां, जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – A048/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम खेडीजागीर, तहसील बारां में आराजी खसरा नम्बर 153 रकबा 1.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 157/648 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.58 हेक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.41 हेक्टर, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.15 हेक्टर, कुल 9 किता की

4.87 हेक्टर आराजी स्थित है । खतोनी संख्या 48 में आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 410 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 413 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 414 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 418 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 469 रकबा 1.32 हेक्टर कुल 13 किता 3.23 हेक्टर आराजी स्थित है । वादी और प्रतिवादीगण को आराजी शामलाती खाते में रहने से लगान अदा करने और काश्त की व्यवस्था में कठिनाई आती है । अतः वादी का दावा स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का विभाजन कर खाता पृथक किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.11.2013 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई और दिनांक 10.07.2015 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील विभाजन की अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है और यह कथन किया गया है कि केम्प में अपीलांटगण 1 लगायत 10 और रेस्पोडेंट नम्बर 1 और 2 को कम ज्यादा भूमि का बंटवारा किया गया है जो विधि विरूद्ध है, हिस्से के अनुसार बंटवारा नहीं किया गया है । अपीलांटगण 1 लगायत 10 को जवाबदेही एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटगण की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि केम्प में निर्णय किया गया है । हिस्से के अनुसार विभाजन नहीं किया गया है, कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । जवाबदेही एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.11.2013 को जारी की थी और अंतिम डिक्री दिनांक 10.07.2015 को जारी की है । अपील अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान के द्वारा सहमति प्रकट की गई है और बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है । इस अंतिम डिक्री में दिनांक 07.08.2015 को संशोधन किया गया है ।

अपीलांट के द्वारा यह कथन करते हुए अपील पेश की गई है कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवारा नहीं किया है । अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदावा पेश करने का अवसर नहीं दिया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.07.2015 के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान द्वारा सहमति व्यक्त की गई है एवं बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है । यदि उभयपक्ष की सहमति के आधार पर निर्णय पारित किया गया है तो उसकी अपील मेंटेनेबल नहीं है । यदि अपीलांट ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी सहमति गलत रूप से आदेशिका में अंकित की गई है तो वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश कर सकते थे

परन्तु सहमति के आधार पर जारी की गई डिक्री के खिलाफ अपील मेंटेनेबल नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मेंटेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा